न्यायालय परगनाधिकारी धामपुर (बिजनौर)।

वाद सं0:—T20181316030२182 — धारा:—80उ0प्र0राजस्व संहिता—2006

मौजा:—सिकरौड़ा — परगना:—नहटौर

निहाल सिंह — बनाम — उ0प्र0 सरकार

नकल आदेश ता0 कि0 9-2-18

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही निहाल सिंह पुत्र देवी सिंह निवासी ग्राम बैरमनगर परगना नहटौर तहसील धामपुर जिला बिजनौर के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार धामपुर की आख्या दिनांक—20—12—2017 के आधार पर प्रारम्भ हुई। तहसीलदार धामपुर की आख्या में उल्लेख किया गया है कि भूमि स्थित ग्राम सिकरौड़ा परगना नहटौर तहसील धामपुर की खतौनी वर्ष 1424—1429 फसली के खाता सं0 22 खसरा नं0 25अ/0.164है0 व 25ब/0.930है0 कुल रकबई 1.094है0 भूमि पर प्रार्थी निहाल सिंह पुत्र देवी सिंह निवासी ग्राम बैरमनगर परगना नहटौर तहसील धामपुर जिला बिजनौर का नाम श्रेणी—1(क) संक्रमणीय भूमिधर पूर्ण भाग पर अंकित है। उक्त खसरा नं0 25अ/0.164है0 व 25ब/0.930है0 कुल रकबई 1.094है0 भूमि पर कृषि, बागवानी, मतस्य पालन, कुक्कुट पालन आदि कार्य नही हो रहा है। मौके पर उक्त भूमि पर निर्माण कार्य चल रहा है तथा स्वयं के आवासीय प्रयोजन में नही लाई जा रही है। राजस्व संहिता 2006 यथा संशोधित 2016 की धारा 80 के अन्तर्गत ऐसे खातेदार जो स्वयं के आवासीय प्रयोजन में उपयोग नहीं कर रहे हो उनके लिए 1 प्रतिशत शुल्क अधिरोपित करने की व्यवस्था दी गयी है। प्रश्नगत भूमि जनपदीय मार्ग पर स्थित है। रेट लिस्ट के अनुसार सरकारी रेट 38,00,000/—रू0 प्रति हैक्टेयर की दर से उक्त भूमि की मालियत (1.094×38,00,000 रू0)=41,57,200/—रू0 है आती है जिसका 1 प्रतिशत 41600 रू0 देय होता है। तहसीलदार धामपुर के द्वारा अपनी रिपोर्ट के अन्त में प्रश्नगत भूमि को राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत दी गयी व्यवस्था के अनुसार निर्धारित शुल्क लिये जाने के उपरान्त अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गई है।

मैने तहसीलदार धामपुर के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट सहित पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। तहसीलदार धामपुर की रिपोर्ट दिनांक 20—12—17 के अनुसार भूमि स्थित ग्राम सिकरौड़ा परगना नहटौर तहसील धामपुर की खतौनी वर्ष 1424—1429 फसली के खाता सं0 22 खसरा नं0 25अ/0.164है0 व 25ब/0.930है0 कुल रकबई 1.094है0 भूमि पर प्रार्थी निहाल सिंह पुत्र देवी सिंह निवासी ग्राम बैरमनगर परगना नहटौर तहसील धामपुर जिला बिजनौर का नाम श्रेणी—1(क) संक्रमणीय भूमिधर पूर्ण भाग पर अंकित है। उक्त खसरा नं0 25अ रकबई 0.164है0 व खसरा नं0 25ब रकबई 0.930है0 2 खेत कुल रकबई 1.094है0 भूमि पर कृषि, बागवानी, मतस्य पालन, कुक्कुट पालन आदि कार्य नही हो रहा है। प्रश्नगत भूमि पर मौके पर निर्माण कार्य चल रहा है। साक्ष्य के रूप में पत्रावली पर फोटोग्राफ संलग्न है तथा उक्त भूमि में कोई सहखातेदार भी नही है। राजस्व संहिता 2006 यथा संशोधित 2016 की धारा 80 के अन्तर्गत ऐसे खातेदार जो स्वयं के आवासीय प्रयोजन में

(क्रमशः पेज नं0 2 पर)

उपयोग नहीं कर रहे हो उनके लिए 1 प्रतिशत शुल्क अधिरोपित करने की व्यवस्था दी गयी है। इसलिए रेट लिस्ट के अनुसार उक्त भूमि की मालियत 41,57,200/–रूपये होती है। जिसका 1 प्रतिशत 41,600/–रूपये सरकारी कोष में चालान संख्या 34 के द्वारा दिनांक–09–02–2018 को जमा किया गया है। प्रश्नगत भूमि विवादित नही है तथा धारा 77 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत नही आती है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006 की धारा 80 के अन्तर्गत भूमि घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचना के आधार पर भूमि स्थित ग्राम सिकरौडा परगना नहटौर तहसील धामपुर की खतौनी वर्ष 1424–1429फ0 के खाता सं0 22 खसरा नं0 25अ/0.164 व 25ब/0.930हे0 कुल रकबई 1.094हे0 लगान मुताबिक खतौनी को उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006 की धारा 80 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार धामपुर को इस आशय से प्रेषित की जाये कि वह उक्त आदेश का अंकन खतौनी के विवरण कॉलम में प्रतिवर्ष कराना सुनिश्चित करे। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक धामपुर को इस आशय से भेजी जाये कि इसे अभिलेखों में निःशुल्क पंजीकृत कराये। आदेश की एक प्रति राजस्व निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे मौके पर घोषित अकृषिक भाग को चिन्हित करते हुये नजरी नक्शे में पृथक–पृथक रंगों से आख्या भेजेगें। समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक:–09/02/2018

(आजाद भगत सिंह)
परगनाधिकारी, धामपुर।
उप जिलाधिकारी
धामपुर (बिजनौर)

7588
12-3-19
12-3-19
12-3-19
13.00
1.00

12-3-19

e-मुद्रा 13-11